

Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Government of Rajasthan)

State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Institute, Durgapura, Jaipur-302018
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506
Web: www.rajolive.com; Email, rocl@rajolive.com
CIN: U01122RJ2007PLC024246

कमांक प. (9बी) आरओसीएल / 2015-16 / 01-05

जयपुर दिनांक 01/04/2016

कार्यालय आदेश

राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि० के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक दिनांक 25.2.2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में कम्पनी द्वारा सभी प्रकार की कृषि संबन्धी सलाहकार सेवाये के लिये शुल्क की सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है -

क्र स	विवरण	राशि प्रति दिन	वि० वि०
1	राज्य के किसान	रु० 50	किसानो के खेतो पर तकनीकी राय दिये जाने पर ही लागू होगी।
2	कम्पनी, फर्म, गैर सरकारी संस्था एवं किसानो के अतिरिक्त समस्त श्रेणीयो में	रु० 10000	
3	राज्य के बाहर के समस्त श्रेणीयो में	रु० 10000	
4	देश के बाहर	500 अमेरिकन डॉलर	

मुख्य शर्ते -

1. उक्त परामर्श शुल्क में परिवहन, भोजन एवं आवास व्यवस्था का शुल्क सम्मिलित नहीं है। इसकी व्यवस्था संबन्धित द्वारा किये जाने अथवा व्यय वहन करने की सहमति के उपरान्त ही भ्रमण किया जावे।
2. एक से अधिक परामर्शदाता भेजे जाने पर भी उपरोक्तानुसार ही परामर्श शुल्क लागू होगा।
3. यदि कम्पनी अधिकारी राजकीय कार्यवश किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे है तथा उसी क्षेत्र में किसानो आदि को परामर्श दिया जाता है तो तात्कालीन कार्यस्थल से परामर्श दिये जाने वाले स्थल का ही परिवहन आदि की व्यवस्था परामर्श प्राप्तकर्ता से की जावे। यदि इस दौरान कम्पनी के वाहन का उपयोग किया जाता है तो राशि रु० 10 प्रति किलोमीटर की दर से राशि कम्पनी के कोष में जमा करवायी जावे।

